जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(जन–सम्पर्क अनुभाग)
(प्रेस विज्ञप्ति)

बरसात के मौसम में सुचारु विद्युत आपूर्ति व विद्युत दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए बरती जानी वाली सावधानियां

जयपुर, 09 जुलाई। जयपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा विद्युत दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सुरक्षित विद्युत आपूर्ति के लिए विद्युत तंत्र के सुधार के साथ ही तकनीकी कर्मचारियों को कार्य के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में ट्रेनिंग देने का कार्य किया जाता है। बरसात का मौसम शुरु हो चुका है, इसमें बिजली उपभोक्ता एवं आमजन भी कुछ सावधानियां बरतें तो विद्युत जनित हादसों को टाला जा सकता है।

जयपुर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक श्री आर.जी.गुप्ता ने बताया कि बरसात में बिजली आपूर्ति में होने वाले व्यवधान एवं विद्युत जनित हादसों से जान–माल की हानि को बचाने के लिए विद्युत उपभोक्ताओं के साथ ही आम जनता भी कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखे तो बिजली आपूर्ति सुचारु रखने के साथ ही विद्युत दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है।

- बारिश के मौसम में बिजली के खम्भे, वितरण बॉक्स, ट्रांसफार्मर, अर्थिंग वायर, किसी भी बिजली लाइन या ट्रांसफार्मर से छेड़छाड़ का प्रयास नही करना चाहिए।
- लुपिंग नही करनी चाहिए क्योंकि बारिश के मौसम में अच्छा अर्थिंग मिलने से हाई वोल्टेज का करन्ट आपस में प्रवाहित हो सकता है।
- कहीं पर भी चिंगारी उठ रही हो, कोई तार टूट जाए, किसी पोल या अर्थिंग सेट में करंट आ रहा हो तो, तुरन्त सम्बन्धित अभियन्ता या जीएसएस को सूचना दें। न तो स्वयं हाथ न लगायें और न ही किसी दूसरे व्यक्ति को ऐसा करनें दें।
- बिजली के खम्भों से पशुओं को न बांधें, कभी भी करंट प्रवाहित हो सकता है।
- मीटर के अलावा सीधे पोल के तार न लगाएं क्योंकि सप्लाई आने पर घर के उपकरण जल सकते है। इसमें मीटर एक सुरक्षा युक्ति का काम करता है।
- घर में ईएलसीबी स्विच जरूर लगवाएं, जिससें घर के बिजली तंत्र में गड़बड़ी होने पर बिजली आपूर्ति स्वतः ही बंद हो जाए और जीवन हानि को टाला जा सके।
- बिजली फिटिंग के साथ ही अर्थ वायर डाला जाना व समूचे तंत्र को घर के बाहर उपयुक्त अर्थ कर जोड़ना चाहिये और उसकी समय–समय पर जाचं कराते रहना चाहिये।
- यह भी ध्यान रखें कि पशुओं के तबेलों के आसपास बिजली आपूर्ति हेतु घरेलू वायरिंग खुली न हो तथा पीवीसी पाईप में उचित तरीके से स्थापित की गई हो।
- बिजली की लाइनों के नीचे कोई भी वाहन खड़ा करने से बचें। बिजली की लाईनों के नीचे या बिजली के खम्भे के नजदीक किसी भी जानवर को बांधना एवं सामान का रखना वर्जित है।
- छत पर या आसपास से गुजरती हुई बिजली की लाईन से छेडछाड़ की कोशिश नहीं करनी चाहिये अपितु बिजली लाईन से पर्याप्त दूरी बनाए रहना चाहिये।
- बिजली के खम्भे या स्टे–वायर से डोरी बांधकर कपड़े सुखाने के काम में नही लेना चाहिए।
- हार्वेस्टर मशीन, जेसीबी मशीन, बोरवेल मशीन, भूसा गाड़ी, ट्रेक्टर, ट्रक, बसों की छत पर बैठे व्यक्ति ऊपर से गुजर रही 33/11 के.वी. लाईन से सुरक्षित दूरी बनाए रखें, इसके लिये उन्हें सड़क से गुजरते समय विद्युत लाइनों के प्रति विशेष सतर्क रहना चाहिये।

विद्युत व्यवधान, दुर्घटना सम्भावित बिजली लाईने, लटकते बिजली तार, टेड़े पोल आदि के बारे में कॉल सेन्टर के टोल फ्री नम्बर 18001806507, टेलीफोन न. 0141–2203000, मोबाईल नम्बर 9414037085 पर एसएमएस करके, ट्विटर हैंडल–@md_jvvnl पर सूचना व शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। इसके साथ ही जयपुर शहर के अलावा जयपुर डिस्कॉम क्षेत्र के उपभोक्ता अपनी शिकायतें बिजली मित्र एप के द्वारा भी दर्ज करवा सकते हैं।

———

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 779/2018